| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>प्रकरण संख्या : 173/2022<br>रास्ता प्रकरण | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 31.10.22 | तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा कदीमी प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता प्रस्ताव मय दस्तावेजात पेश किया गया। पटवार मण्डल इस्लामपुर के राजस्व ग्राम इस्लामपुर के हाल भूमि खसरा नं. 513, 514, 529, 531 में से जाने वाले रास्ते में मौके पर डामरीकृत सड़क बनी हुई है, जो कि सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादी में रास्ता दर्ज करने की अभिषंशा सहित रिपोर्ट पेश की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद अवलोकन रास्ता प्रस्ताव पर तहसीलदार झुंझुनूं को सुना गया। रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ता मौके पर चालू पाया गया तथा मुताबिक रिपोर्ट मौके पर डामरीकृत सड़क बनी हुई है। तहसीलदार झुंझुनूं के अनुसार उक्त प्रचलित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने पर किसी पक्षकार के हक हिस्सों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद नहीं होने की संभावना होती है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(2)रा–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3 (17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की रोशनी में न्यायालय मत पर जनहित व विधिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत कदीमी रास्तों को रिकॉर्ड में लाने का स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः<br><br>–: आदेश :–<br><br>उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (रास्ता प्रस्ताव) स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नंम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें। रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गै0 मु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुंझुनूं को प्रेषित की जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>झुन्झुनूं (राज.) | |